न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

<u>आपराधिक प्रक0क्र0 700384</u> / 16

संस्थित दिनाँक-06.07.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

वेदिसंह उर्फ बंटी पुत्र करनिसंह नरविरया उम्र 35 साल, निवासी गोरमी पोरसा रोड नगरपालिका के आगे थाना गोरमी जिला भिण्ड म०प्र०अभियुक्त

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 07.02.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 13.04.16 को करीब 03:00 बजे रेल्वे स्टेशन रोड प्रीत सरदार की दुकान के सामने गोहद चौराहा गोहद सार्वजनिक स्थान पर वाहन एम0पी0—30 एम0एफ0—1721 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहतगण द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिव की धारा 337 तीन काउण्ट एवं 338 दो काउण्ट का उपशमन किया गया। उपशमन का प्रभाव अभियुक्त का उक्त आरोपों से दोषमुक्ति का होगा।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी जितेन्द्र शर्मा दिनांक 13.04.16 को 3 बजे अपनी मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलैण्डर कमांक एम0पी0—30 एम0एफ0—5606 से गोहद चौराहा से निमंत्रण खाकर ग्राम चंदोखर जा रहा था, मोटरसाईकिल पर पीछे रामकृष्ण व अशोक शर्मा बैठे थे, मोटरसाईकिल वह स्वयं चला रहा था। जैसे ही मोटरसाईकिल रेल्वे स्टेशन रोड प्रीत सरदार की दुकान के सामने पहुंची तो स्टेशन रोड तरफ से डिस्कवर मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0—30 एम0एफ0—1721 के चालक ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी के दाहिने पैर के घुटने व दांयी बांह में चोट आई, रामकृष्ण के सिर में गंभीर चोट आई तथा अशोक के सिर, माथे तथा नाक के बगल में चोट आई। वे 108 एम्बुलैंस से गोहद अस्पताल गए जहां से उन्हें ग्वालियर रैफर कर दिया गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहे पर की जिस पर से अप0क0—92/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध

किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.04.16 को करीब 03:00 बजे रेल्वे स्टेशन रोड प्रीत सरदार की दुकान के सामने गोहद चौराहा गोहद सार्वजनिक स्थान पर वाहन एम0पी0—30 एम0एफ0—1721 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

<u>=:: सकारण निष्कर्ष ::</u>—

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जितेन्द्र शर्मा अ०सा० 1, अशोक शर्मा अ०सा० 2 एवं रामकृष्ण शर्मा अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. प्रकरण में फरियादी जितेन्द्र शर्मा अ०सा० 3 उनके अभिसाक्ष्य में घटना पिछले साल रात करीब पौने तीन बजे की बताते हैं और यह कथन करते हैं कि वे, अशोक शर्मा, रामकृष्ट शर्मा गोहद चौराहे से चंदोकर के लिए मोटरसाईकिल पर बैठकर जा रहे थे, जिसे साक्षी चला रहा था। सामने से एक बिना नं. की मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से आई और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार कर स्टेशन की तरफ भागे । साक्षी उन्हें तथा अन्य दो लोगों को चोट आना बताते हैं। फोन करके किसी के बुलाने पर एम्बोलेंस से अस्पताल पहुचाने और वहां से ग्वालियर रेफर किए जाने का कथन करते हैं। प्रकरण में साक्षी घटना की रिपोर्ट अगले दिन प्र०पी० ०१ के रूप में किया जाना, जिस पर अपने ए से ए भाग पर इस्ताक्षर तथा नक्शामौका प्र०पी० २ पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में साक्षी टक्कर मारने वाली गाडी का कोई भी नम्बर अंकिल न होने और मोटरसाईकिल के चालक को अंधेरा होने से न देख पाने का कथन करते हैं। अन्य आहत्गण अशोक शर्मा अ०सा० २ एवं रामकृष्ट शर्मा अ०सा० ३ भी उक्त साक्षी के समान ही बिना नम्बर की मोटरसाईकिल के द्वारा टक्कर मारने व चालक को न देख पाने का कथन करते हैं। अमियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षद्रोही घाषित कर सूचक प्रश्न पूंछे गए । इस प्रकार से अभियोजन का मामला संदेहपूर्ण हो जाता है।
- 10. प्रकरण में फरियादी जितेन्द्र अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्नों में इस तथ्य से इन्कार करते हैं डिस्कवर मोटरसाईकिल कं० एमपी 30 एमएफ 1721 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी। रिपोर्ट प्र0पी० 1 में विनिर्दिष्ट बी से

बी भाग तथा पुलिस कथन प्र0पी0 3 में ए से ए भाग पर उक्त तथ्यों को लिखाए जाने से साक्षी द्वारा इन्कार किया गया है । अन्य साक्षियों द्वारा उनके पुलिस कथन क्रमशः 4 व 5 में उक्त तथ्यों के लिखाए जाने से इन्कार किया है। सभी साक्षियों ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के द्वारा मोटरसाईकिल के चलाए जाने के तथ्य से भी इन्कार किया है। इस प्रकार से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।

- 11. प्रकरण में अभियोजन का यह तर्क है कि फरियादी पक्ष से अभियुक्त का राजीनामा हो जाने से उनके द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया जा रहा है। जहां तक अभियोजन के तर्क का प्रश्न है तो संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 3 तथा कथन कमशः प्र0पी0 4 व 5 में उल्लेखित तथ्यों का जहां तक प्रश्न है तो वे तथ्य स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायदृष्टांन्त— रिव कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में फरियादी जितेन्द्र अ0सा0 1 द्वारा प्राथमिकी प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट भाग तथा धारा 161 दप्रस के कथनों कमशः प्र0पी0 3 लगायत 5 से साक्षियो द्वारा तात्विक विरोधाभास व लोप का कथन किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।
- 10. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था। अतः अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति का पात्र है। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। धारा 337 तीन काउंट एवं धारा 338 दो काउट भादवि० के आरोप से अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 11. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

12. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

सही/-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ALIMAN PAROLE SUNT

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश